04/17 देवाकराम व/s पुराराम वगैरह

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
11.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2017 मे अटल सेवा केन्द्र आडेल मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी स.8 के वकील उपस्थित। वकील विप्रार्थी स.8 की ओर से विप्रार्थी स.2,4 से 7,9 से 11, एवं 15 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया है। जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल हो। शेष विप्रार्थी बावजुद सुचना अनुपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओ की प्रार्थना पत्र वास्ते–मृतक गिरधारीराम के वारिश रामाराम को पक्षकार बनाने बाबत पर बहस सुनी गई। जिस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमे पाया कि मृतक गिरधारीराम के वारिश को रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतःप्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.17 को प्रस्तुत को स्वीकार किया जाता है। संशोधित शीर्षक शामिल मिसल हो। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिविक्ताओ की मूल आवेदन पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है,कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी स.1 से 9 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुद भूमि ग्राम भाभुओ की बेरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 545 रकबा 26–08 बीधा व खसरा सख्या 563 रकबा 49 बीधा आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.1 से 9 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका बाहमी रूप से बंटवाड़ा हो रखा है और उसीनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की जोत खसरा खसरा संख्या 545 से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थी स.10 से 21 के खसरा सख्या 564 एवं प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी स.1 से 9 के खेत खसरा सख्या 563 मे से चल रहे सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता है।प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है,एवं बरसात के समय मे विप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है। जिसके कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होती है। इस कारण तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत करते हुए प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जावे। इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है।कि प्रार्थीगण की ओर से झूठे तथ्यो के आधार पर हस्तगत आवेदन पेश किया गया है।जिसमे किसी प्रकार की सफलता मिलने की संभावना नही है। आगे ओर कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.1 से 9 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सख्या 563 का आया हुआ है। जिसमे सहखातेदार प्रार्थीगण भी है। और	

सहायक कलक्टर SDC सिणधरी

Scanned by CamScanner

बिना बंटवाड़ा के रास्ता नही निकाल सकते है। क्योकि प्रार्थीगण के साथ विप्रार्थी का भी कब्जा काश्त है। इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर पेश किये जाने के कारण खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं सलंग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमे पाया कि ग्राम भाभुओ की बेरी तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 545,563,563/2 कुल रकबा 76–13 बीधा भूमि के प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी स.1 से 6 एवं विप्रार्थी स.7 से 9 के वालिद गिरधारीराम सहखातेदार है। और प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन पत्र के जरिये खसरा सख्या 563 व 564 मे से नया रास्ता निकालने की इस्तदुआ चाही गई है।जबकि पत्रावली के सलंग्न उपलब्ध राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी)के अनुसार खसरा सख्या 563 के प्राथीगण एवं विप्रार्थी स.1 से 6 एवं विप्रार्थी स.7 से 9 के वालिद गिरधारीराम (फोत जैसा आवेदन मे अंकित किया गाय है)सहखातेदार है। और कानूनन विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना सहखातेदार की भूमि मे खातेदार नया रास्ता निकालने का हकदार भी नही होता है।क्योकि उक्त भूमि के प्रत्येक हिस्से पर खातेदारान का हक हिस्सा होता है। और यह तय नही होता है,कि किस खातेदारान का किस हिस्से पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा सारहीन तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया गया है।जो खारिज योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पोषणीय नही होने एवं सारीन तथ्यो के आधार पर पेश किये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11/5/17 को मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

11/5/17

सहायक कलेक्टर
SDC सिणधरी

Scanned by CamScanner